

मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3555

11.08.2025 को उत्तर के लिए

कैम्पा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को निधियों का संवितरण

3555. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) का ब्यौरा क्या है, इसकी स्थापना की तिथि, उद्देश्य और इस नियम के अंतर्गत सरकार द्वारा अब तक एकत्रित राशि क्या है, साथ ही कैम्पा राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत प्रत्येक संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से एकत्रित धनराशि का वार्षिक आंकड़ा वर्ष-वार क्या है;
- (ख) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित कैम्पा निधि के उपयोग का ब्यौरा क्या है और पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्यों और संबंधित संस्थाओं को प्राप्त धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) कैम्पा द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को वितरण हेतु लंबित निधियों का मद-वार ब्यौरा क्या है और लंबित राशि का संवितरण कब तक होगा; और
- (घ) क्या सरकार छत्तीसगढ़ के लिए लंबित अनुसंधान कैम्पा निधि का उपयोग राज्य में अनुसंधान, शिक्षा, राष्ट्रीय संस्थान, प्राधिकरण या उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए विचार कर रही है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

- (क) प्रतिपूरक वनरोपण निधि (सीएएफ) अधिनियम, 2016 को संसद द्वारा वर्ष 2016 में अधिनियमित किया गया था और यह दिनांक 30.09.2018 को लागू हुआ। सीएएफ अधिनियम, 2016 की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण कैम्पा का गठन किया गया है। सीएएफ अधिनियम भारत के लोक लेखा और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लोक लेखा के तहत निधियों की स्थापना का प्रावधान करता है ताकि वन भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त धनराशि को जमा किया जा सके - प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण, दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण, शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) विशेष रूप से कार्यकलापों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत ऐसी एजेंसियों से वसूल की गई अन्य सभी राशि। पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा एकत्रित निधि का विवरण अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) ने प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 और प्रतिपूरक वनरोपण निधि नियम, 2018 के उपबंधों के अनुसार राज्य कैम्पा की वार्षिक परिचालन योजना (एपीओ) को अनुमोदित कर दिया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार एपीओ के तहत आवंटित और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक-II** और **अनुलग्नक-III** में संलग्न है।

अनुलग्नक-१

“कैम्पा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को निधियों का संवितरण” के संबंध में श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा दिनांक 11.08.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3555 के आग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

2020-21 से 2024-25 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्तियां (करोड़ रुपये में)						
क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2020-21 के दौरान प्राप्ति	2021-22 के दौरान रसीद	2022-23 के दौरान प्राप्ति	2023-24 के दौरान प्राप्ति	2024-25 के दौरान रसीद
1.	अंडमान निकोबार	0.54	15.03	9.11	12.31	0.34
2.	आंध्र प्रदेश	75.21	27.42	47.37	180.98	152.02
3.	अरुणाचल प्रदेश	120.34	216.62	467.09	480.59	1,312.70
4.	असम	7.26	18.63	106.90	95.95	137.40
5.	बिहार	42.41	53.90	223.85	53.24	50.30
6.	चंडीगढ़	0.14	0.09	-	-	0.30
7.	छत्तीसगढ़	85.01	139.55	470.62	470.75	551.81
8.	दादर नगर हवेली	1.04	1.48	15.12	3.95	0.34
9.	दमन और दीव	0.59	-	-	4.93	0.01
10.	दिल्ली	12.20	93.39	85.78	6.36	5.21
11.	गोवा	32.94	159.43	39.49	36.91	15.05
12.	गुजरात	226.78	180.08	160.13	289.44	470.52
13.	हरियाणा	196.07	261.03	68.52	126.25	23.44
14.	हिमाचल प्रदेश	55.71	180.60	721.22	133.85	109.52
15.	जम्मू कश्मीर	2.77	22.58	97.95	116.22	124.76
16.	झारखंड	237.21	581.20	774.70	836.33	1,270.71
17.	कर्नाटक	90.93	245.79	194.79	493.13	124.03
18.	केरल	8.57	13.05	6.92	7.52	8.81
19.	लद्दाख	-	-	609.95	486.90	156.81
20.	मध्य प्रदेश	339.22	260.03	4,301.75	746.02	1,217.73
21.	महाराष्ट्र	38.23	199.07	473.98	350.16	508.46
22.	मणिपुर	-	109.74	80.65	72.32	172.22
23.	मेघालय	9.83	16.20	27.79	9.05	17.66
24.	मिजोरम	2.59	14.77	16.28	10.39	31.17
25.	नागालैंड	-	-	-	-	-
26.	ओडिशा	648.87	519.28	991.31	655.62	915.65
27.	पांडिचेरी	-	-	-	-	0.01
28.	पंजाब	78.71	159.61	153.21	41.54	68.20
29.	राजस्थान	41.80	209.46	67.75	119.06	227.09
30.	सिक्किम	2.96	69.25	122.51	64.27	234.10
31.	तमिलनाडु	12.53	2.21	21.93	19.90	38.09
32.	तेलंगाना	144.75	95.78	88.26	49.19	146.87
33.	त्रिपुरा	49.01	45.48	62.84	55.90	1.57
34.	उत्तर प्रदेश	169.56	147.18	220.85	219.79	119.08
35.	उत्तराखण्ड	111.81	144.75	152.12	118.29	84.92
36.	पश्चिम बंगाल	9.29	197.44	27.07	129.42	4.76
	कुल	2,854.87	4,400.14	10,907.81	6,496.50	8,301.62

अनुलग्नक-II

"कैम्पा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को निधियों का संवितरण" के संबंध में श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा दिनांक 11.08.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3555 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

2020-21 से 2024-25 तक की स्वीकृत वार्षिक परिचालन योजना (करोड़ रुपये में)						
क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.13	शून्य	10.97	6.7	10.42
2	आंध्र प्रदेश	330.82	325	224.09	226.75	253.6
3	अरुणाचल प्रदेश	155.46	240.35	195.29	190.69	126.55
4	অসম	88.34	95.01	162.57	109.69	104.39
5	बिहार	238.76	106.84	115.42	37.88	65.18
6	चंडीगढ़	2.26	3.6	1.66	1.54	1.4
7	छत्तीसगढ़	1347.02	1500.76	688.46	471.21	401.69
8	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	दिल्ली	19.55	16.15	33.93	47.15	34.55
10	गोवा	32.68	21.55	36.53	31.28	29.56
11	ગુજરાત	240.69	200	205.4	250.02	310.5
12	हरियाणा	203.95	317.59	270.68	69.03	120.83
13	हिमाचल प्रदेश	158.38	138.1	190.23	185.14	184.52
14	जम्मू और कश्मीर	184.33	269.97	312.69	370.55	180.18
15	झारखण्ड	376.56	437.62	764.85	412.14	654.62
16	कर्नाटक	212.94	321.09	270.98	313.89	288.06
17	केरल	15.78	25.13	17.26	9.06	8.93
18	लद्दाख	शून्य	शून्य	शून्य	60.55	76.94
19	मध्य प्रदेश	860.93	713.46	889.84	1070.6	1398.42
20	महाराष्ट्र	599.32	688.27	708.11	597.57	730.65
21	मणिपुर	27.79	25.09	22.59	20.26	27.36
22	मेघालय	33.97	36.4	26.67	30.91	24.75
23	मिजोरम	32.66	18.08	16.74	14.6	22.77
24	ओडिशा	773.39	901.03	1191.31	948.04	1112.93
25	ਪंਜाब	177.85	218.06	203.01	257.1	125.94
26	राजस्थान	280.7	286.7	249.19	286.49	198.44
27	सिक्किम	75.49	71.32	69.82	79.95	44
28	तमिलनाडु	66.62	शून्य	38.22	44.15	35.27
29	तेलंगाना	483.78	752.71	772.65	455.3	386.8
30	त्रिपुरा	21.51	35.24	52.9	85.77	61.87
31	उत्तर प्रदेश	442.01	586.89	344.08	172.04	155.57
32	उत्तराखण्ड	353.64	726.88	320.15	383.82	335.37
33	पश्चिम बंगाल	74	58.3	52.83	79.4	63.51
कुल		7913.31	9137.19	8459.12	7319.27	7575.57

अनुलग्नक-III

"कैम्पा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को निधियों का संवितरण" के संबंध में श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा दिनांक 11.08.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3555 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

उपयोग की गई धनराशि 2020-21 से 2024-25 (करोड़ रुपये में)					
क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.16	शून्य	4.22	2.38
2	आंध्र प्रदेश	60.96	121.1	82.51	146
3	अरुणाचल प्रदेश	198.9	242.28	189.27	183.23
4	असम	21.68	21.45	130.55	116.35
5	बिहार	183.206	0.167	77.69	29.59
6	चंडीगढ़	0	5.14	1.6158	0
7	छत्तीसगढ़	651.64	855.55	895.59	873.52
8	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	दिल्ली	0	4.15	11.94	8.93
10	गोवा	23.39	17.75	12.18	28.87
11	गुजरात	169.85	168.8	169.99	226.76
12	हरियाणा	125.31	213.49	138.67	59.21
13	हिमाचल प्रदेश	119.48	94.77	97.01	61.55
14	जम्मू और कश्मीर	112.61	127.73	177.93	148.29
15	झारखण्ड	214.92	240.98	316.49	213.04
16	कर्नाटक	170.48	299.99	269.37	288.52
17	केरल	10.88	16.032	8.241	4.728
18	लट्टाख	शून्य	शून्य	शून्य	39.7
19	मध्य प्रदेश	475.65	561.18	729.38	937.52
20	महाराष्ट्र	236.58	422.43	399.91	421.15
21	मणिपुर	27.79	25.09	22.59	20.26
22	मेघालय	18.53	38.13	8.71	17.79
23	मिजोरम	9.24	29.42	16.14	7.56
24	ओडिशा	674.98	841.67	931.1	833.87
25	पंजाब	128.57	167.82	129.81	116.63
26	राजस्थान	186.45	182.12	209.19	242.35
27	सिक्किम	62.9	67.77	67.77	55.81
28	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	25.94	शून्य
29	तेलंगाना	378.35	488.98	430.55	237.28
30	त्रिपुरा	17.72	24.35	34.9	32.52
31	उत्तर प्रदेश	252.19	362.06	231.74	166.9
32	उत्तराखण्ड	252.62	375.43	226.01	237.01
33	पश्चिम बंगाल	8.25	12.92	18.93	47.3
कुल		4793.286	6028.749	6065.937	5804.618
					5883.63